<u>कार्यालय,निदेशक,होम्योपैथी,उ0प्र0, 8वॉ तल,इन्दिरा भवन, लखनऊ।</u>

लखनऊ:दिनॉक:23 सितम्बर, 2023

संख्या–नि0हो0/252/23/

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 अरूण कुमार यादव, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय शोभना वसेडी, कौशाम्वी द्वारा अपना स्थानान्तरण राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल रामपुर में किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–ए 13401/2023, डा अरूण कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2023 को दो सप्ताह के भीतर याची द्वारा प्रतिवादी सं0 3 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादी सं0 3 अर्थात निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 द्वारा याची का प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 04 सप्ताह के भीतर सकारण/विधिसम्मत निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये है। याची डा अरूण कुमार यादव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशो के अनुपालन में अपना प्रत्यावेदन निदेशालय को दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि स्थानान्तरण नीति दिनांक 07.06.2023 में समूह–क एवं ख श्रेणी के अधिकारियों का स्थानान्तरण जनपद में 03 वर्ष तथा मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण किये जाने के पश्चात किये जाने, यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो उनका स्थानान्तरण सम्भवतः एक ही जनपद/नगर/स्थान पर किये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रम में उनके द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल रामपुर में अपना स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु उनका स्थानान्तरण जनपद कौशाम्बी में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा उनकी पत्नी के जनपद रामपुर में सिविल जज एफ0टी0सी0 के पद पर कार्यरत होने के पश्चात भी नही किया गया। उक्त का उल्लेख करते हुए याची डा0 अरूण कुमार यादव द्वारा अपना स्थानान्तरण जनपद कौशाम्बी से जनपद रामपुर में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि याची डा0 अरूण कुमार यादव, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय शोभना बसेड़ी, कौशाम्बी द्वारा स्थानान्तरण सत्र में अपने स्थानान्तरण राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल रामपुर में किये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु उक्त चिकित्सालय में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का पद रिक्त न होने के कारण याची का स्थानान्तरण सम्भव नही हुआ। स्थानान्तरण नीति में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो उन्हे यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किये जाने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा। उक्त स्थानान्तरण नीति में समूह–क एवं समूह–ख श्रेणी के सम्वर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जाने के आदेश है, ऐसी स्थिति में जनपदों/मण्डलों में सर्वाधिक अविध से कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में समय का निर्धारण करते हुए उपर से अधिक समय वाले चिकित्साधिकारियों का

स्थानान्तरण 20 प्रतिशत की सीमा तक के अर्न्तगत ही किया गया है, जिसके अनुसार याची डा0 अरूण कुमार यादव उक्त स्थानान्तरित होने वाले अधिकारियों की श्रेणी में नही आ सके। और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल रामपुर में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का पद रिक्त न होने के कारण इनके अनुरोध को स्वीकार किया जाना सम्भव नही हुआ। याची डा0 यादव के उपरोक्त वर्तमान प्रत्यावेदन में अपना स्थानान्तरण कौशाम्बी से जिला रामपुर में किये जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु वर्तमान में जनपद रामपुर में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त न होने के कारण इनका स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नही है, यदि भविष्य में जनपद रामपुर में किसी चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त होता है तो उस चिकित्सालय में इनका स्थानान्तरण तद्समय प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये जाने का विचार किया जा सकता है।

अतः याची डा0 अरूण कुमार यादव के उक्त प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को पद रिक्त न होने की स्थिति में अस्वीकार करते हुए रिट याचिका संख्या–ए 13401/2023, डा अरूण कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक।

संख्या–नि0हो0/252/23/3981817 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन, आयुष अनुभाग–2।

2–मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

4–जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ज्ञाप की प्रति डा0 अरूण कुमार यादव, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को प्राप्त कराते हुये प्राप्ति की सूचना इस निदेशालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5–डा0 संजीव वर्मा, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से सर्म्पक कर प्रश्नगत रिट याचिका में आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

6– डा0 अरूण कुमार यादव, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा–जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक।